


20.12.22

पत्रावली पेश हुई | अप्रार्थी द्वारा
स्वयं उपाख्यत होकर दि. 24.11.22
को उक्त प्रार्थनापत्र का जवाब पेश
किया था | तथा संपत्तिवर्तन हेतु
किए गए आवेदन की copy पेश
की गई | उक्त प्रकरण में खसरा
संख्या 2538/1150 का 1.6 ha
में से ^{0.4 ha} संपत्तिवर्तन हेतु आवेदन
करने की वजह से प्रार्थनापत्र
का कोई औचित्य नहीं बचता |
तथा उक्त प्रार्थनापत्र खारिज किया
जाता है | पत्रावली फैलत शुमार
होकर नंबर से कम होवे | लेकिन
प्रार्थी द्वारा आगे के समय में

बिना अनुमति / विधिक प्रक्रिया अपनाते
हुए अकृषि प्रयोजन किया गया तो
न्यायालय पुनः रच 177 की कार्यवाही
करने हेतु सक्षम रहेगा।


उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)